

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

Form No. III

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

किस्म मुकदमा

नारायण सिंह vs राजस्व दरखास्त

बनाम

राजस्व दरखास्त

212

नं. 157 सन् 2018 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
17/7/18	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित । वकील प्रार्थी द्वारा एक राजस्व दरखास्त विरुद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 08/08/18 को पेश हो।</p>	
6/8/18	<p>उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन पत्रावली आज पेश हुई / वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली आज पेश हुई / वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली आज पेश हुई / वकील प्रार्थी द्वारा</p>	
14.9.18	<p>पत्रावली आज पेश हुई / वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली आज पेश हुई / वकील प्रार्थी द्वारा 28/9/18 को पेश हो।</p>	
23/9/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य से व्यस्त है/अमन पर है/ बैठक में पधारें हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली अन्यन्दा दिनांक 24/12/18 को पेश हो।</p>	
24/12/18	<p>पत्रावली पेश हुई आज पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य से व्यस्त है/अमन पर है/ बैठक में पधारें हुए है/अवकाश पर है अतः पत्रावली अन्यन्दा दिनांक 30/11/18 को पेश हो।</p>	

तारीख
हुक्मा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
का तामिल में जारी हुए।

21/7/19

पत्रावली पेश हुई
आज पीठासीन अधिकारी महोदय,
अपण कार्य से व्यस्त है/अमण पर है/
बैठक ने पधारे हुए है/अवकाश पर है
अतः पत्रावली आसपास
दिनांक 1.9/8/19 को पेश हो।

[Signature]

रिडर
उप सज्ज अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट
मारवाड़ नवशान

19/8/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील डा. वी. उपा
पत्रावली वाले इन्फार जवाब आंगत दिनांक
15/8/19 को पेश हो।

[Signature]
महोदय

15/10/19

पत्रावली आज पेश हुई वकील डा. वी. उपा
अपनी करमारी परीमार को जवाब देते
न्यायदिव में अंतिम अवसर दिया जाकर
पत्रावली आंगत दिनांक 26/11/19 को पेश हो।

[Signature]
महोदय

26.11.19

पत्रावली आज पेश हुई वकील डा. वी. उपा
वकील डा. वी. उपा को आज नहीं चलना
चाहते हैं तथा उपा को Not Press करने हेतु
लिखित निवेदन किया। वकील डा. वी. उपा के निवेदन
को स्वीकार किया जाकर उपा को
वकील डा. वी. उपा की वकालत के आधार पर
उपा को जारी Not-Press जारी किया
जाएगा। मिसल केवल शुभकर होकर नम्बर को
कम हो।
निर्णय आज दिनांक 26.11.19 को खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

[Signature]

[Signature]
महोदय

